सार समाचार

पॉवर कंपनी ई-ऑफिस क्रियान्वयन में डिस्ट्रीब्यूशन (एच आर) श्रेष्ठ, सम्मान

रायपुर। छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के मानव संसाधन विभाग को ई-ऑफिस के प्रभावी क्रियान्वयन एवं उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रशस्ति पत्र तथा रनिंग शील्ड प्रदान की गई। यह सम्मान पॉवर कंपनी के अध्यक्ष श्री सुबोध कुमार सिंह ने मुख्य अभियंता (मानव संसाधन) श्री राजेंद्र प्रसाद को प्रदान किया। पावर कंपनी मुख्यालय स्तर पर 1 जनवरी 2026 से ई-ऑफिस से कार्यालयीन कार्य अनिवार्य किया गया है। मानव संसाधन विभाग ने इसके प्रभावी क्रियान्वयन में उल्लेखनीय कार्य करते हुए 3,372 फाइलों एवं 15,494 रिसीट का ई-ऑफिस के माध्यम से संपादित किया। विभाग के इस प्रदर्शन को कार्यालयीन कार्यों में डिजिटल प्रणाली को बढ़ावा देने और कार्यप्रणाली में दक्षता लाने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि माना गया। इसी प्रकार ऑनलाइन वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन का सफल क्रियान्वयन के लिए उप महाप्रबंधक श्रीमती मल्लिका बेक एवं सहायक प्रबंधक सुश्री मीनल पांडेय को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। कार्यक्रम में निदेशक भीम सिंह कंवर, राजेश कुमार शुक्ला एवं एस.के. कटियार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

ट्रैक्टर और कृषि उपकरणों की बिक्री राशि के गबन का मामला

राजनांदगांव। थाना सिटी कोतवाली राजनांदगांव पुलिस ने ट्रैक्टर एवं कृषि उपकरणों की बिक्री से प्राप्त राशि फर्म में जमा नहीं करने और कथित तौर पर 11 लाख 7 हजार 893 रुपये के गबन के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। पुलिस के अनुसार आरोपी कुमुद उपाध्याय, उम्र 52 वर्ष, निवासी इंदिरा नगर वृंदावन कॉलोनी, राजनांदगांव, अरुण एग्रीकल्चर में मैनेजर के पद पर कार्यरत था। आरोप है कि उसने 1 अप्रैल 2025 से 7 अप्रैल 2026 के बीच फर्म के ट्रैक्टर एवं कृषि उपकरण किसानों को कुल 14 लाख 61 हजार 393 रुपये में बिक्री किए, लेकिन बिक्री से प्राप्त पूरी राशि फर्म में जमा नहीं की। इस संबंध में 17 अगस्त 2026 को प्रार्थी द्वारा थाना सिटी कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस के मुताबिक पूछताछ के दौरान आरोपी ने राशि के गबन की बात स्वीकार की तथा 3 लाख 3 हजार 500 रुपये वापस किए, जबकि शेष 11 लाख 7 हजार 893 रुपये फर्म में जमा नहीं किए जाने की बात सामने आई। शिकायत पर थाना सिटी कोतवाली में अपराध क्रमांक 443/26 के तहत धारा 316(4), 336(3) एवं 344(1) बीएनएस के अंतर्गत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा (भा.पु.से.) के निर्देश तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री कीर्तन राठौर (रा.पु.से.) और नगर पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव श्री के.पी. मरकाम (रा.पु.से.) के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निरीक्षक उपेन्द्र कुमार शाह के नेतृत्व में पुलिस ने आरोपी को थाना बुलाकर पूछताछ की।

संरक्षक मंडल के अनुमोदन के बाद प्रेस क्लब राजनांदगांव की नई कार्यकारिणी घोषित

राजनांदगांव। बहुप्रतीक्षित प्रेस क्लब राजनांदगांव की नई कार्यकारिणी का गठन संरक्षक मंडल के अनुमोदन के पश्चात कर दिया गया है। प्रेस क्लब भवन में आयोजित संरक्षक मंडल की बैठक में कार्यकारिणी के नामों पर विचार-विमर्श कर उसे अंतिम रूप दिया गया। नई कार्यकारिणी में वरिष्ठ पत्रकारों के अनुभव के साथ युवाओं को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है। बैठक में संरक्षक मंडल के प्रमुख सदस्य सुशील कोठारी, श्याम खंडेलवाल, दीपक बुद्धदेव, अशोक पांडे, सी.एल. जैन सोना, पुरुषोत्तम तिवारी एवं जितेंद्र मिश्रा विशेष रूप से उपस्थित रहे।

जवाबों से अधिक अनुत्तरित रह गए सवाल

सवालों के कटघरे में गुरुकुल पब्लिक स्कूल प्रबंधन, प्रेसवार्ता में उठे गंभीर प्रश्न

स्वदेश ज्योति संवाददाता, कवर्धा

गुरुकुल पब्लिक स्कूल कवर्धा एक बार फिर गंभीर आरोपों और विवादों के घेरे में दिखाई दे रहा है। लगभग दो वर्ष पुराने एक संवेदनशील प्रकरण को लेकर विद्यालय प्रबंधन द्वारा 18 अगस्त को सुबह 9:30 बजे प्रेसवार्ता आयोजित कर अपनी स्थिति स्पष्ट करने का प्रयास किया गया। किंतु पत्रकारों के तीखे एवं क्रमिक सवालों के बीच प्रेसवार्ता का स्वरूप ही सवाल-जवाब के कठघरे में तब्दील होता नजर आया।

प्रेसवार्ता के दौरान विद्यालय की प्राचार्या एवं प्रबंधन के सलाहकार अधिवक्ता द्वारा समयाभाव का हवाला देते हुए वहां से चले जाने की बात सामने आई, जबकि संस्था प्रबंधक की गैरमौजूदगी भी पत्रकारों के बीच चर्चा का विषय बनी रही। परिणामस्वरूप जिस प्रेसवार्ता का उद्देश्य आरोपों पर प्रबंधन का पक्ष स्पष्ट करना था, वहीं कई महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर अधूरे अथवा अनुत्तरित रह गए।

संवेदनशील छात्रा प्रकरण ने फिर खींचा ध्यान

मामला लगभग दो वर्ष पूर्व का बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार बीजापुर जिले के आवापल्ली क्षेत्र की आदिवासी समाज से संबंधित एक नाबालिग छात्रा गुरुकुल पब्लिक स्कूल में अध्ययनरत थी तथा विद्यालय के छात्रावास में निवास करती थी। इसी दौरान उसके गर्भवती होने का मामला सामने आने के बाद विद्यालय प्रबंधन की कार्यप्रणाली और छात्रावास व्यवस्था को लेकर गंभीर प्रश्न खड़े हुए थे।

बताया जाता है कि संबंधित छात्रा का चयन भारत सरकार द्वारा संचालित प्रयास योजना के माध्यम से हुआ था। घटना सामने आने के बाद विभिन्न सामाजिक संगठनों ने इस प्रकरण को लेकर विद्यालय प्रबंधन की भूमिका पर सवाल उठाए थे। सोशल मीडिया पर भी मामला व्यापक रूप से चर्चित हुआ, जिसके चलते विद्यालय की प्रतिष्ठा और प्रबंधन की जवाबदेही को लेकर बहस तेज हुई।

हालांकि नाबालिग छात्रा से संबंधित मामले में वास्तविक घटनाक्रम, दोष अथवा जिम्मेदारी का निर्धारण केवल अधिकृत जांच, न्यायिक प्रक्रिया और आधिकारिक अभिलेखों के आधार पर ही किया जाना चाहिए।

पूर्व विवादों ने बढ़ाई प्रबंधन की जवाबदेही

गुरुकुल पब्लिक स्कूल को लेकर पूर्व में भी विवाद सामने आने के दावे किए जाते रहे हैं। आरोप है कि अनुसूचित जाति वर्ग की एक नाबालिग छात्रा से कथित छेड़छाड़ के मामले में विद्यालय से जुड़े कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई हुई थी तथा कुछ कर्मचारियों के जेल जाने की बात भी सामने आई थी। यदि इन मामलों में आधिकारिक स्तर पर कार्रवाई हुई है, तो विद्यालय प्रबंधन की संस्थागत जवाबदेही, छात्र-छात्राओं की सुरक्षा व्यवस्था तथा प्रशासनिक निगरानी की भूमिका पर गंभीरता से विचार किया जाना आवश्यक है।

सामाजिक और राजनीतिक संगठनों का दबाव

इन कथित घटनाक्रमों को लेकर कवर्धा के विभिन्न राजनीतिक दलों एवं सामाजिक संगठनों द्वारा समय-समय पर विरोध और आंदोलन किए जाने की बात सामने आई है। संगठनों ने जिला प्रशासन से विद्यालय से संबंधित शिकायतों की निष्पक्ष, व्यापक एवं तथ्यपरक जांच कराए जाने की मांग की है। संगठनों का कहना है कि यदि जांच में किसी प्रकार की अनियमितता, लापरवाही अथवा नियमों का उल्लंघन प्रमाणित होता है, तो संबंधित जिम्मेदारों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही चेतावनी दी गई है कि प्रशासन द्वारा प्रभावी कार्रवाई नहीं किए जाने की स्थिति में आंदोलन को व्यापक रूप दिया जा सकता है।

सफाई देने बुलाई प्रेसवार्ता, लेकिन सवाल रह गए बरकरार

सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है कि जब विद्यालय प्रबंधन ने स्वयं प्रेसवार्ता आयोजित कर अपने ऊपर लगे आरोपों का स्पष्टीकरण देने का निर्णय लिया, तो पत्रकारों द्वारा पूछे गए महत्वपूर्ण सवालों के बीच प्रबंधन के प्रमुख प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति अथवा प्रेसवार्ता से प्रस्थान की स्थिति क्यों बनी? प्रेसवार्ता के दौरान उठे सवालों ने यह स्पष्ट कर दिया कि केवल आरोपों का खंडन अथवा सामान्य सफाई पर्याप्त नहीं होगी। प्रबंधन को घटनाक्रम से संबंधित दस्तावेजी तथ्यों, प्रशासनिक कार्रवाई, जांच की स्थिति, छात्रावास की निगरानी व्यवस्था और संस्थागत जवाबदेही पर स्पष्ट एवं प्रमाणिक जानकारी सार्वजनिक करनी होगी।

अब प्रशासन की भूमिका पर निगाहें

लगातार विवादों और आरोपों के बीच अब सबसे अधिक जिम्मेदारी जिला प्रशासन की बनती है। यदि विद्यालय के संबंध में विभिन्न स्तरों पर शिकायतें प्राप्त हुई हैं, तो उन्हें एकीकृत करते हुए निष्पक्ष जांच कर वास्तविक स्थिति सार्वजनिक करना प्रशासन के लिए आवश्यक हो जाता है। मामला नाबालिग छात्रा, छात्रावास व्यवस्था और विद्यालयी सुरक्षा जैसे अत्यंत संवेदनशील विषयों से जुड़ा होने के कारण इसे राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित रखने के बजाय तथ्य, दस्तावेज और विधिसम्मत जांच के आधार पर निष्कर्ष तक पहुंचाना जरूरी है।

फिलहाल प्रेसवार्ता के बाद विवाद समाप्त होने के बजाय कई नए प्रश्नों के साथ और गहरा होता दिखाई दे रहा है। विद्यालय प्रबंधन की सफाई एक पक्ष है, जबकि सामने उठ रहे गंभीर सवालों का निर्णायक उत्तर अब प्रशासनिक जांच एवं आधिकारिक अभिलेखों से ही सामने आ सकेगा। कवर्धा में अब सवाल केवल आरोपों का नहीं, बल्कि जवाबदेही, संस्थागत पारदर्शिता और छात्र-छात्राओं की सुरक्षा का है।

स्वतंत्रता दिवस पर ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करने के संकल्प को दी नई मजबूती

स्वदेश ज्योति संवाददाता, रायपुर

भारत की पांचवीं सबसे बड़ी निजी ताप विद्युत उत्पादक कंपनी वेदांता पावर लिमिटेड ने 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत की ऊर्जा सुरक्षा सुदृढ़ करने की अपनी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को और मजबूत किया है। विश्वसनीय बिजली आपूर्ति, घरेलू ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करने और उत्पादन क्षमता में दीर्घकालिक निवेश के माध्यम से कंपनी देश की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने तथा आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण में अपनी भूमिका का विस्तार कर रही है। वेदांता पावर की कुल बिजली उत्पादन क्षमता 4.78 गीगावॉट है जिसमें से 4.18 गीगावॉट की इकाइयां प्रचालन में है जबकि 0.6 गीगावॉट क्षमता प्रचालन में लाए जाने की प्रक्रिया में है।

पंजाब, आंध्रप्रदेश, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में कंपनी की ताप विद्युत इकाइयां मौजूद हैं। कंपनी की लगभग 74 प्रतिशत क्षमता दीर्घ और मध्यम अवधि के बिजली खरीद समझौतों (पीपीए) से जुड़ी है जबकि इसकी प्रचालन क्षमता का लगभग 85 प्रतिशत हिस्सा घरेलू कोयला आपूर्ति से संबद्ध है।

यह व्यवस्था ईंधन की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने और संयंत्रों का निरंतर प्रचालन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वेदांता पावर की दीर्घकालिक रणनीति का प्रमुख आधार ईंधन सुरक्षा है। कंपनी के प्रचालन पोर्टफोलियो का लगभग 85 प्रतिशत हिस्सा कोल इंडिया की सहायक कंपनियों - महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल), साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) और नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल) के साथ दीर्घकालिक कोयला आपूर्ति समझौतों से जुड़ा है।

पंजाब स्थित तलवंडी साबो ताप विद्युत संयंत्र को एसईसीएल और एनसीएल से अपनी कोयला आवश्यकता का 100 प्रतिशत लिंकेज ईंधन से प्राप्त होता है जबकि ओडिशा स्थित झारसुगुडा ताप विद्युत संयंत्र को एमसीएल से अपनी कोयला आवश्यकता का 100 प्रतिशत लिंकेज ईंधन से प्राप्त होता है। कंपनी अपने संयंत्रों में ईंधन स्रोतों के विविधीकरण पर ध्यान दे रही है। वेदांता पावर आंध्रप्रदेश स्थित मीनाक्षी एनर्जी लिमिटेड में संयंत्र को पूर्व में इस्तेमाल किए जा रहे आयातित कोयले पर आधारित ईंधन व्यवस्था से घरेलू कोयले की ओर स्थानांतरित कर रही है। इसका उद्देश्य ईंधन सुरक्षा को मजबूत करना, आयात पर निर्भरता कम करना और वैश्विक ईंधन बाजार के उतार-चढ़ाव के प्रभाव को सीमित करना है। इस अवसर पर वेदांता पावर लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं पूर्णकालिक निदेशक राजिंदर सिंह आहूजा ने कहा, "ऊर्जा सुरक्षा किसी भी देश की आर्थिक स्वायत्तता और दीर्घकालिक विकास का आधार है। विकसित भारत के निर्माण के लिए विश्वसनीय और सुलभ बिजली आपूर्ति अत्यंत महत्वपूर्ण है।

वेदांता पावर में हम घरेलू ईंधन आपूर्ति को मजबूत करने, निर्बाध बिजली उत्पादन सुनिश्चित करने और अपनी उत्पादन क्षमता का विस्तार करने के माध्यम से इस राष्ट्रीय लक्ष्य में योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

जन समर्पण सेवा संस्था के अध्यक्ष योगेन्द्र शर्मा बंटी एवं उनकी धर्मपत्नी का हुआ सम्मान

दुर्ग। दुर्ग जिले में मानव सेवा एवं गौ सेवा पर उत्कृष्ट कार्य करने वाली जन समर्पण सेवा संस्था, दुर्ग के अध्यक्ष योगेन्द्र शर्मा बंटी एवं उनकी धर्मपत्नी सुमन बंटी शर्मा का साईं म्यूजिकल ग्रुप, दुर्ग द्वारा सम्मान किया गया। 17 अगस्त 2026 को सागर इंटरनेशनल, दुर्ग में साईं म्यूजिकल ग्रुप, दुर्ग द्वारा जय हिंद महोत्सव एवं जय हिंद सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जन समर्पण सेवा संस्था के अध्यक्ष योगेन्द्र शर्मा बंटी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुमन बंटी शर्मा को समर्पित समाज सेवा सम्मान से सम्मानित किया गया दुर्ग जिले की जन समर्पण सेवा संस्था जिनके द्वारा किए जा रहे सेवा कार्य आज शहर एवं पूरे प्रदेश के लिए अनुकरणीय उदाहरण हैं। संस्था के सदस्य विगत 9 वर्षों से मानसिक रूप से कमजोर, विक्षिप्त की मदद, दिव्यांग जनों को उनकी जरूरत की सामग्री वितरण, गौ माता को रेडियम पट्टी लगाना, पशु-पक्षियों के दाना पानी के लिए सकोरे, कोटना का वितरण करना, हर जरूरतमंदों को उनकी जरूरत की सामग्री जैसे बर्तन, कम्बल, साबुन, निरमा आदि का वितरण ऐसे सरहानीय एवं नेक कार्य संस्था के युवा सदस्य बिना रुके बिना किसी दिन नागा किये निरन्तर जारी रखे हुए है। संस्था द्वारा निःशुल्क एंबुलेंस सुविधा के साथ साथ गंभीर बीमारी से ग्रसित या दुर्घटना से गंभीर चोटे आने पर उपयोग की जाने वाली सामग्री मेडिकल पलंग व्हीलचेयर कम्मोट चेयर वाकर जैसी सामग्री भी संस्था के सदस्य सुजल शर्मा मोबाइल नंबर 9754656971 के द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है।

संतोष जूंबा ग्रुप का सावन हरेली पर्व अनुपम गार्डन में संपन्न

स्वदेश ज्योति संवाददाता, रायपुर

छत्तीसगढ़ महतारी की पूजा अर्चना के बाद, राजकीय गीत गाया गया, छत्तीसगढ़ की शांति खुशी और समृद्धि के लिए मंगल कामना किया गया, वंशिका ने भगवान राम की गानों में सभी का स्वागत किया, ग्रुप के संतोष कुमार साहू ने कहा कि, छत्तीसगढ़ हमारी सभ्यता संस्कृति और विरासत में संपन्न प्रदेश है, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, खनिज संपदा, ऊर्जा समृद्ध, बिजली उत्पादन, जनजाति संस्कृति, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन, वन संपदा से संपन्न प्रदेश, पंथी, पंडवानी, बस्तर आर्ट फेमस है, रूस और भारत की दोस्ती का [illegible] भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ में स्थित है। संतोष योगा ग्रुप की महिलाओं ने रैंप वॉक, छत्तीसगढ़ी बॉलीवुड गाने में गेम खेलें, विजय गर्ग के द्वारा विजेता सदस्य को पुरस्कार दिया गया, जिसमें कविता देवांगन सावन क्वीन बनी, सावन क्वीन ने महिला शसक्तीकरण, समाज और परिवार में सामंजस्य के साथ आगे बढ़ने की महिलाओं को प्रेरित किया, दुर्गा कालेज प्रोफेसर डॉ प्रीति सतपथी ने कहा की अब महिलाओं संस्कार सभ्यता संस्कृति के साथ, आत्मनिर्भर होकर, समाज, देश- विदेश में, सभी क्षेत्र में पुरुष के साथ कंधे से कंधे मिलाकर आगे बढ़ रहे है, शिक्षिका सुरुचि साहू, लेखपाल कविता देवांगन, बिंदु साहू, जानवी वर्मा सरिता अग्रवाल पारुल सिंह, बिंदु साहू, कंचन गोवानी, अंशुल गोवानी और भी महिलाएं मौजूद रही, साथ ही सभी पुरुष वर्ग ने सबका उत्साहवर्धन किया।

मुख्यमंत्री बाल संदर्भ शिविर में 80 गंभीर, अति गंभीर तथा मध्यम श्रेणी के बच्चों की गई स्वास्थ्य जांच

स्वदेश ज्योति, राजनांदगांव

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कुमरदा में मुख्यमंत्री बाल संदर्भ शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 80 गंभीर, अति गंभीर तथा मध्यम श्रेणी के बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण एवं आवश्यक स्वास्थ्य जांच की गई। बच्चों की स्वास्थ्य स्थिति का परीक्षण कर चिकित्सकीय परामर्श एवं आवश्यक उपचार संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराई गईं। शिविर के सफल आयोजन में हमर स्वस्थ लइका कार्यक्रम एवं एम्स रायपुर के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर का विशेष सहयोग रहा। इसके साथ ही जन औषधि केंद्र छुरिया के सहयोग से बच्चों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं एवं मार्गदर्शन प्रदान किया गया। स्वास्थ्यकर्मियों द्वारा बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उनकी स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार आवश्यक परामर्श एवं उपचार संबंधी सेवाएं प्रदान की गईं। विभागीय टीम द्वारा बच्चों के पोषण एवं स्वास्थ्य से संबंधित आवश्यक जानकारी दी गई तथा जरूरत के अनुसार दवाइयां उपलब्ध कराई गई। शिविर के माध्यम से गंभीर एवं कुपोषण की श्रेणी में आने वाले बच्चों की समय पर पहचान, स्वास्थ्य जांच तथा आवश्यक उपचार एवं पोषण संबंधी सेवाएं सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया। शिविर में स्वास्थ्य विभाग की ओर से एएनएम, मेडिकल ऑफिसर एवं फार्मासिस्ट उपस्थित थे।

ई-नीलामी बिक्री सूचना

एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

CIN - U67100MH2007PLC174759

पंजीकृत कार्यालय : एडलवाइस हाउस, पहली मंजिल, ऑफ सी.एस.टी. रोड, कलीना, मुम्बई - 400098.

सिक्यूरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 के तहत अचल सुरक्षित संपत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना, सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एनफोर्समेंट) रूल्स, 2002 के नियम 8(5) एवं (6) के प्रावधानों तथा नियम 9(1) के साथ पठित।

यह कि **पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड** (जिसे इसके बाद मूल ऋणदाता/पीएचएफएल कहा गया है) की वित्तीय सुविधाएं, स्पष्टरूप से उल्लिखित कॉलम में, एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (जिसे इसके बाद ''ईएआरसी/समनुदेशिती'' कहा गया है) को, **ईएआरसी-ट्रस्ट-एससी-425** के ट्रस्टी की हैसियत से कार्य करते हुए, सौंप दी गई हैं। उक्त समनुदेशन के अनुसरण में, ईएआरसी ने समनुदेशक का स्थान ले लिया है और सुरक्षित लेनदार के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग करता है। यह कि ईएआरसी ने सुरक्षित लेनदार की हैसियत से सरफेसी अधिनियम एवं उसके अधीन बनाए गए नियमों की धारा 13(4) के तहत नीचे उल्लिखित अचल सुरक्षित संपत्तियों का कब्जा ले लिया था।

एतद्द्वारा आम जनता और विशेष रूप से उधारकर्ता, सह-उधारकर्ता, कानूनी वारिस एवं गारंटर(ओं) को **30 दिनों** का नोटिस दिया जाता है कि सुरक्षित लेनदार के पक्ष में बंधक रखी गई नीचे वर्णित अचल सुरक्षित संपत्तियां, जिनका भौतिक कब्जा सुरक्षित लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी (एओ) द्वारा लिया जा चुका है, ईएआरसी को नीचे उल्लिखित देय राशियों की वसूली के लिए, उस पर आगे के ब्याज तथा अन्य खर्चों/लागतों सहित (उधारकर्ता और गारंटर से ईएआरसी द्वारा प्राप्त किसी भी धनराशि की कटौती के पश्चात), **''जहां है जैसा है'', ''जो है जैसा है'' एवं ''जो कुछ भी वहां है''** के आधार पर बेची जाएंगी। संपत्ति के लिए आरक्षित मूल्य और बयाना राशि नीचे उल्लिखित है। एतद्द्वारा पूर्व में जारी किसी भी नीलामी नोटिस को तत्काल प्रभाव से वापस/निरस्त किया जाता है और इस नोटिस को ही प्रभावी माना जाएगा।

नीलामी के लिए रखीं प्रत्याभूत परिसंपत्ति का विवरण:

ऋण खाता सं./बिक्री संस्थान	कर्जदार/सह-कर्जदार/गारंटर का नाम	ट्रस्ट का नाम	कुल बकाया 19.08.2026 तक	आरक्षित मूल्य (रु. में)	बयाना राशि ईएमडी (रु. में)	नीलामी तिथी व समय	कब्जे का प्रकार
HL/0022/H /15/100122	1. अब्दुल बारीक (ऋणी) 2. शबाना खातून (सह-ऋणी)	EARC-TRUST -SC-425	Rs. 29,34,724.43	Rs. 11,50,000/-	Rs. 1,15,000/-	24.09.2026 दोप. 01:00 बजे	भौतिक

संपत्ति विवरण: संपत्ति 1:- खसरा नं. 584/27 (पुराना) के संपूर्ण एवं समस्त भाग, खसरा नं. 584/27/2 (नया) का भाग, क्षेत्रफल 1200 वर्गफीट, तुरीधिह स्थित, प.ह.नं. 13/14, सरल नं. 130, आरआईसी-पटेवा, तहसील एवं जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़ **चर्तुसीमा :** पूर्वः शिवकुमार का मकान, पश्चिमः शेष भूमि, उत्तरः विक्रेता की भूमि, दक्षिण : रोड

नीलामी प्रक्रिया के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी:

1.	ईएमडी डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) **''एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड - ईएमडी अकाउंट''** के पक्ष में मुंबई में देय होगा।	
2.	आरटीजीएस के माध्यम से किये गए ईएमडी भुगतान निम्नलिखित खाते में होंगे: खाता का नाम: **''एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड** - ईएमडी खाता'' खाता नं.: **000405158602**; बैंक का नाम -आईसीआईसीआई बैंक; **IFSC** कोड: **ICIC0000004**	
3.	ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि	नीलामी की तिथि से एक दिन पूर्व तक प्राप्त किए जायेंगे।
4.	बोली जमा करने का स्थान	रिटेल सेन्ट्रल ऑफिस, मुम्बई (ऊपर दर्शाये गये पते पर)
5.	नीलामी का स्थान (नीलामी हेतु वेबसाईट)	ई-नीलामी (https://auction.edelweissarc.in)
6.	संपर्क विवरण साथ फोन नं.	टोल फ्री नंबर : 1800 266 6540
7.	संपत्ति के निरिक्षण की तिथि एवं समय	पूर्व समयादेशानुसार

बिक्री के विस्तृत नियम व शर्तों के लिए कृपया ईएआरसी की वेबसाइट अर्थात https://auction.edelweissarc.in पर दिया लिंक देखें।

प्राधिकृत अधिकारी
अरविंद झा, झोनल लीगल मैनेजर, वेस्ट रिटेल लीगल
वास्ते एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड
(EARC-TRUST-SC-425 के लिए ट्रस्टी)

दिनांक: 20.08.2026
स्थान: मुंबई

Edelweiss Asset Reconstruction

OMKARA ASSETS RECONSTRUCTION Pvt. Ltd.

ओमकारा एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड

सीआईएनः U67100TZ2014PTC020363

रजि. कार्यालयः 9, म.प्र. नगर, पहली स्ट्रीट, कोंगु नगर एक्सटेंशन, तिरुपुर - 641607

कॉर्पोरेट कार्यालयः कोहिनूर स्क्वायर, 47वीं मंजिल, एन.सी.केलकर मार्ग, आर.जी. गडकरी चौक, दादर (पश्चिम), मुंबई - 400028. फोनः 022-6923 1111

'सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेटस एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्टस एक्ट, 2002' और 'सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एनफोर्समेंट) रूल्स, 2002' के नियम 8(6) और 9(1) के प्रावधानों के तहत अचल और चल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना।

आम जनता और खासकर उधार लेने वालों (Borrowers) और गारंटी देने वालों (Guarantors) को यह सूचना दी जाती है कि नीचे बताई गई अचल संपत्ति (immovable property), जिसे सिक्योर्ड क्रेडिटर (Secured Creditor) के पास गिरवी/चार्ज किया गया था और जिसका फिजिकल कब्जा India Resurgence ARC Private Limited (IRAPL) के अधिकृत अधिकारी ने ले लिया है, उसे "जैसा है, जहाँ है" (As is where is), "जैसा है, वैसा है" (As is what is), "जो कुछ भी है" (Whatever there is) और "बिना किसी रिकोर्स के" (Without recourse) आधार पर बेचा जाएगा। यह बिक्री 31.07.2026 तक Omkara Assets Reconstruction Pvt Ltd (OARPL) - जो सिक्योर्ड क्रेडिटर है - की बकाया राशि 7,12,89,050/- (सात करोड़ बारह लाख नवासी हज़ार पचास रुपये) की वसूली के लिए की जाएगी, जो नीचे दिखाए गए संबंधित उधारकर्ताओं, सह-उधारकर्ताओं, गारंटी देने वालों/गिरवी रखने वालों से वसूलनी है। संबंधित संपत्ति के लिए रिजर्व प्राइस (Reserve Price) और अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट (earnest money deposit) की जानकारी नीचे संबंधित कॉलम में दी गई है। CUB (मूल ऋणदाता) ने 05.11.2019 को India Resurgence ARC Trust II के ट्रस्टी के तौर पर काम कर रही IRAPL को नीचे बताए गए उधारकर्ताओं का कर्ज सौंप (assign) दिया था। इसके अलावा, 16.08.2024 के सिक्योरिटी रिसीट परचेज एग्रीमेंट (Security Receipt Purchase Agreement) के तहत, OARPL अब IRAPL की जगह India Resurgence ARC Trust II का ट्रस्टी बन गया है और अब असाइनर (assignor) की जगह ले चुका है; साथ ही, उसे बकाया राशि वसूलने और सिक्योरिटी को लागू करने का अधिकार है।

उधारकर्ता / सह-उधारकर्ता / गारंटर / बंधककर्ता उधारकर्ताः मेसर्स गुप्ता एंड कंपनी
सह-उधारकर्ता/बंधककर्ता/गारंटरः प्रभादेवी गुप्ता, अजय कुमार गुप्ता

धारा 13(2) के तहत डिमांड नोटिस की तारीखः 13(2) नोटिस 23.10.2018 को जारी किया गया।

कब्ज़ा लेने की तारीखः 13(4) के तहत 22.05.2024 को भौतिक कब्जा लिया गया।

प्रॉपर्टी का विवरणः ऊपर बताई गई प्रॉपर्टीज़ (A, B और C) पर बनी बिल्डिंग का कुल क्षेत्रफल 703.21 वर्ग मीटर है, जिसमें शामिल हैं:
ग्राउंड फ्लोर (RCC छत): 176.50 वर्ग मीटर। दूसरा फ्लोर (RCC छत): 176.50 वर्ग मीटर।
तीसरा फ्लोर (RCC छत): 176.21 वर्ग मीटर। चौथा फ्लोर (RCC छत): 124.29 वर्ग मीटर।
चौथा फ्लोर (G.I. टिन शेड छत): 49.42 वर्ग मीटर।

आइटम A:
मौजा रायपुर खास, तात्यापारा, वार्ड नंबर 38, रायपुर, छत्तीसगढ़ में स्थित हाउस नंबर 16/103, नया हाउस नंबर 38/103 का एक हिस्सा, जिसका क्षेत्रफल 14 फीट 9 इंच × 20 फीट = 295 वर्ग फीट यानी 27.42 वर्ग मीटर है।
सीमाएँ:
पूर्वः सड़क पश्चिमः विक्रेता की जमीन उत्तरः गोविंद राव की प्रॉपर्टी दक्षिणः सुशील कुमार की प्रॉपर्टी (सेल डीड तारीख 23-11-2006, सब-रजिस्ट्रार, रायपुर के ऑफिस में डॉक्यूमेंट नंबर 3578(G), बुक नंबर A1, वॉल्यूम 35228, पेज 19 से 28 के तौर पर रजिस्टर्ड।)

आइटम B:
मौजा रायपुर खास, तात्यापारा, वार्ड नंबर 38, रायपुर, छत्तीसगढ़ में स्थित खसरा नंबर 205, प.ह.न. 106-A में हाउस नंबर 16/103, नया हाउस नंबर 38/103 का एक हिस्सा, जिसका क्षेत्रफल 1505 वर्ग फीट यानी 139.87 वर्ग मीटर है।
सीमाएँ:
पूर्वः सड़क पश्चिमः विक्रेता की जमीन उत्तरः गोविंद राव की प्रॉपर्टी दक्षिणः सुशील कुमार की प्रॉपर्टी (सेल डीड तारीख़ 23-11-2006, सब-रजिस्ट्रार, रायपुर के ऑफिस में डॉक्यूमेंट नंबर 3578(G), बुक नंबर A1, वॉल्यूम 35228, पेज 19 से 28 के तौर पर रजिस्टर्ड।)
आइटम B: मौज रायपुर खास, तात्यापारा, वार्ड नंबर 38, रायपुर, छत्तीसगढ़ में स्थित खसरा नंबर 205, प.ह.न. 106-A में मौजूद मकान नंबर 16/103, नया मकान नंबर 38/103 के हिस्से का वह टुकड़ा, जिसका माप 1505 वर्ग फ़ीट यानी 139.87 वर्ग मीटर है।
सीमाएँ:
पूर्वः विक्रेता की जमीन पश्चिमः मो. अफ़ज़ल हुसैन की प्रॉपर्टी उत